साथ-मिलकर एक समावेशी समुदाय का निर्माण करना



# Hindi | हिन्दी

# सारांश परामर्श पत्र

# विकलांगता-ग्रस्त लोगों को आकलन में शामिल करने के लिए मार्गदर्शिका निर्मित करना

## यह एक सारांश परामर्श पत्र है। यह आकलन के चरणों *व* सिद्धांतों में विकलांगता-ग्रस्त लोगों को शामिल करने के लिए एक त्वरित अवलोकन प्रदान करता है। हम इसके उदाहरण पाना चाहते हैं कि लोगों को प्रत्येक चरण में कैसे शामिल किया जा सकता है, और हम सिद्धांतों पर टिप्पणियाँ प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस परामर्श पत्र में प्रत्येक चरण व सिद्धांतों के बारे में और अधिक विवरण दिए गए है तथा अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए हैं।

*Australia’s Disability Strategy 2021-2031 (ऑस्ट्रेलिया की विकलांगता कार्यनीति 2021–2031*) विकलांगता-ग्रस्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की एक योजना है।

इस योजना के तहत सरकार आकलन के बारे में एक मर्गदर्शिका निर्मित करेगी। यह मार्गदर्शिका सुनिश्चित करेगी कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों को उनके लिए महत्वपूर्ण नीतियों, कार्यक्रमों और सेवाओं के बारे में आकलन में शामिल किया जाता है।

आकलनों से सरकार को यह जानने में सहायता मिल सकती है कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए क्या बातें अच्छी तरह से काम कर रही हैं और इनमें सुधार कैसे किए जा सकते हैं।

हम इस बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं कि आकलन के प्रत्येक चरण में क्या होना चाहिए, और आकलन में विकलांगता-ग्रस्त लोगों को शामिल करने के सिद्धांतों के बारे आप क्या सोचते/सोचती हैं।

1. **डिज़ाइन चरण**

यह वह भाग है जहाँ आकलन के कुछ हिस्सों की योजना बनाई जाती है। इसमें यह शामिल हो सकता है कि:

* आकलन में क्या पता लगाने की कोशिश की जाएगी।
* किसे शामिल किया जाना चाहिए।
* आकलन टीम में कौन लोग होंगे।
* आकलन किस प्रकार का है। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन प्रश्न, व्यक्तिगत रूप से या समूहों में।

**अपनी राय सामने रखें:**

**हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों को आकलन के  
इस चरण में शामिल किया गया है?**

1. **कार्यान्वयन और विश्लेषण चरण**

यह आकलन का वह भाग है जहाँ आकलन किया जाता है। इसमें यह शामिल हो सकता है कि:

* विकलांगता-ग्रस्त लोगों से आकलन में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाता है।
* यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी प्रकार की विकलांगता और जीवन अनुभव वाले लोग इच्छानुसार शामिल हो सकते हैं। इसमें भाग लेने में लगने वाले समय और प्रयास के बारे में विचार करना शामिल है, जैसे भाग लेने के लिए भुगतान या उपहार दिया जाना।
* सभी उत्तरों को, और इनसे हमें क्या पता चलता है, यह देखा जाता है।
* विकलांगता-ग्रस्त लोगों को परिणाम प्रस्तुत करने का अवसर देना।

**अपनी राय सामने रखें:**

**हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों को आकलन के  
इस चरण में शामिल किया गया है?**

1. **परिणाम चरण से कार्यात्मक गतिविधियाँ**

आकलन के इस भाग में ये निर्णय लिए जाते हैं कि परिणामों के साथ क्या किया जाना चाहिए। इसमें यह शामिल हो सकता है कि:

* आकलन में उत्तरों के परिणामस्वरूप क्या बदला जाना चाहिए।
* यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि विकलांगता-ग्रस्त लोग किसी भी परिवर्तन के बारे में अपनी राय सामने रख पाते हैं।

**अपनी राय सामने रखें:**

**हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों को आकलन के  
इस चरण में शामिल किया गया है?**

**क्या विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए आकलन को बेहतर बनाने के बारे में हमें कुछ और  
पता होना चाहिए?**

**आकलन में विकलांगता-ग्रस्त लोगों को शामिल करने के सिद्धांत**

सिद्धांतों का सारांश निम्नलिखित है:

* विकलांगता-ग्रस्त लोगों को आकलन के सभी भागों के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए
* आकलन इस बारे में होने चाहिए कि विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है और उनके जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए।
* यह सुनिश्चित किया जाता है कि आकलनों के सभी भाग विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए सुलभ हैं
* अलग-अलग अनुभवों वाले विकलांगता-ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाना चाहिए (जैसे लिंग, जाति, स्थान, अल्पक्षमता)
* आकलन के परिणामों को प्रस्तुत करने, और उन परिणामों के साथ क्या किया जाता है, इन बातों में विकलांगता-ग्रस्त लोगों को शामिल किया जाना चाहिए।

**आप फीडबैक कैसे दे सकते/सकती हैं**

**अपनी राय सामने रखें:**

**क्या आपके पास इन सिद्धांतों के बारे में कोई टिप्पणियाँ है?**

**क्या किसी अन्य सिद्धांत को शामिल किया जाना चाहिए या बदला जाना चाहिए?**

**और अधिक संपूर्ण पाठ, अधिक जानकारी और फीडबैक के बारे में अन्य विचारों के लिए आप यहाँ से परामर्श पत्र प्राप्त कर सकते**/सकती **हैं:**

<https://engage.dss.gov.au/ads-consultations-develop-guide-evaluation>

**हमें लिखित प्रस्तुति भेजें**

आप लिखित प्रस्तुति यहाँ भेज सकते/सकती हैं:

Australia’s Disability Strategy Governance and Engagement Section

GPO Box 9820

Department of Social Services

Canberra, ACT 2601

**वेब**

डीएसएस एंगेज (DSS Engage) पर परामर्श वेबसाइट के माध्यम से

इस परामर्श पत्र को डाउनलोड करें

इस परामर्श पत्र का एक आसान अंग्रेज़ी संस्करण डाउनलोड करें

लिखित प्रस्तुति को एंटर या अपलोड करें

ऑस्लैन (Auslan) वीडियो देखें

एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाएँ: यदि आप अपनी प्रस्तुति की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजना चाहते/चाहती हैं, तो ऐसा करने का तरीका जानने के लिए डीएसएस एंगेज (DSS Engage) पर जाएँ।

यदि आप अपनी प्रस्तुति को ऑनलाइन अपलोड करते/करती हैं, जिसमें ऑनलाइन टेम्पलेट के माध्यम से भी ऐसा करना शामिल है, तो आपको यह बताने के लिए कहा जाएगा कि क्या आप अपनी प्रस्तुति को डीएसएस (DSS) वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहते/चाहती हैं।

यदि आप ईमेल या सामान्य डाक के माध्यम से अपनी प्रस्तुति भेजते/भेजती हैं, तो कृपया बताएँ कि क्या आप अपनी प्रस्तुति को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाना चाहते/चाहती हैं।

परामर्श प्रक्रिया के बारे में प्रश्नों को [disabilityreform@dss.gov.au](mailto:disabilityreform@dss.gov.au) पर भेजा जा सकता है।

आप सामाजिक सेवाएँ विभाग (Department of Social Services) को **1800 334 505** पर कॉल भी कर सकते/सकती हैं।

**प्रस्तुति जमा करने की अंतिम तिथि बुधवार** 30 **नवंबर 2022 - रात 11:59बजे है।**